

विचार बिन्दु

जो गरीबों पर दया करता है, वह अपने कार्य से ईश्वर को ऋणी बनाता है।

—बाइबल

हमारे पढ़ने-लिखने की सुविधा पर यह वज्राघात!

ह

म भारतीयों के जीवन में डाक व्यवस्था का बहुत महत्व रहा है। बॉलीवुड के गानों में 'डाकिया डाक लाया और राजस्थानी लोक गीतों में 'डाकवा रे तू कागां लिख दे' जैसे गीत हमारे जीवन में इसकी खाल जाने के लिए करते हैं। हमसे से जीवन के बहुत बड़े दिनों से इसकी इतिहास से बंदा करते थीं) डाकियों का इतजार करते रहे हैं। ममृदू शायद निमा फ़ाजिलों ने क्या खुब लिखा है - 'सीधा-सादा डाकिया जाओ करे महान/ एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्काना'। डाकियों की बात करेंगे तो चिट्ठी का जिक्र भला कैसे नहीं आएगा? 1986 में बनी फ़िल्म 'पाम' में पंकज उत्तरास के गाने पर गीत - 'चिट्ठी आई है आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद जीवन से चिट्ठी आई है...' (अनंद बालशरी) ने हर सुनने वाले की आंखें को नम पानी की सारी अच्छी-बुरी खबरें चिट्ठी और डाक की मायथित बदली हैं। लोकन असिस्टेन्ट-आहिस्टा सामय बदला और हमारे जीवन से डाक की अहमियत घटती चली गई। इसमें काफी बड़ा योगदान तकनीक का भी था चिट्ठी की जगह नई मेल, और टेलीफ़ोन-मोबाइल ने ले ली लाल्ही और आवायपूर्ण चिट्ठियों का जमाना अंत तक हुआ और उनकी जगह काम चलाऊ संदेशों और उनके बाद इमोजी ने ले ली लेकिन बहुत हुआ मेल, और जाहिर हमें किसी को चिट्ठी नहीं लिखी या किसी की चिट्ठी का इंजाम हां हमें पानी जो हमें किसी को बहुत रुप में तो डाक व्यवस्था फिर भी हमारे लिए ज़रूरी बनी ही है, और आगे भी बनी होगी।

भारतीय डाक विभाग की बैंकसाइट पर उत्तराखण्ड के अनुसार हमारा डाक विभाग 1,56,600 डाकघरों के साथ विश्व का विश्वालम डाक नेटवर्क है। इसकी शुरुआत 1727 में कलाकारों में फैले डाकघर के साथ हुई थी। इसके बाद कुछ और डाकघर स्थापित हुए और फिर तकलीन डाकघरों में एकप्रतीता के उद्देश्य से भारतीय डाकघर अधिनियम, 1837 बनाया गया। इसके बाद रक्षा और अधिकार व्यापक भारतीय डाकघर अधिनियम, 1854 बनाया गया। इस अधिनियम ने समूची डाक प्रणाली में सुधार किया। माना जाता है कि भारत में वर्तमान डाक प्रणाली इसी अधिनियम के साथ अस्तित्व में आई। डाक विभाग द्वारा प्रतेर जीवनकारी के अनुसार (जो कुछ पुरानी है) भारत में एक डाकघर औसतन 511 व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता है और एक डाकघर द्वारा औसतन 20.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा की जाती है।

डाक व्यवस्था का साचालन लाभ करने के लिए यही किया जाता है। यह संचार और शिक्षा का एक सर्व सुलभ और कम खर्च वाला माध्यम है। चौहे बाद में टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल और कूरीयर जैसे अनेक वैकल्पिक माध्यम हमें सुलभ हो गए हैं। आज भी सरकारी डाक माध्यम देश की बहुत बड़ी आवादी का एकमात्र संबंध है। लोकन जैसा देश के अन्य बहुत सारे कल्याणकारी कामों के साथ हो रहा है, हमारी सरकार आहिस्टा-आहिस्टा इनसे अपने हाथ करते रहे हैं। इस पर पीछे असल बहसद अपनी जिम्मेदारी से नहीं को है या निजी क्षेत्र वाला देने का, इस पर तो बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। और की जा सकती हैं, इस बात को नकारना संभव नहीं होगा कि चाहे शिक्षा हो, दूसरे संचार हो, चिकित्सा हो, पेयजल हो या डाक व्यवस्था हो। हमने सार्वजनिक क्षेत्र की निजी क्षेत्र के हाथों परापत होती हुई देखा है। अगर केवल डाक व्यवस्था की बात करें तो पहले ही समय बनने वाली डाकघरों को एक साथ भी कमाने के लिए नहीं होता है। लोकन जैसा देश के अन्य बहुत सारे कल्याणकारी कामों में इन ही पर्याप्त नहीं होता है। और जैसे इन ही पर्याप्त नहीं होता है, तो उनके बाद इनकी जिम्मेदारी को नहीं होती है। और जैसे इनकी जिम्मेदारी को नहीं होती है, तो उनके बाद इनकी जिम्मेदारी को नहीं होती है।

ताजा प्रसंग यह है कि हमारे डाकघरों ने अब रजिस्टर्ड प्रिंटेड बुक्स के पैकेट लेना बंद कर दिया है। जिन्हें जीवनकारी न हो उन्हें बता दूँ कि भारतीय डाक विभाग पोस्ट कार्ड, अंतर्राष्ट्रीय पत्र और लिफाओं के रूप में चिट्ठियों जेनेने के अतिरिक्त रजिस्टर्ड और अन रजिस्टर्ड पैकेट्स के रूप में मुक्त और प्रतिक्रिया भेजने की सुविधा भी देता रहा है। इस सुविधा के चलते लाभग पवास साथ रुपये में पंच किलो वाक जीवन की सकती थी। यह सुविधा पद्धति लेखने वालों में यादी सुविधा के अंतर्गत मार्गी-पैसेंजर सरत रापे का एक तरफ से खुला रखा तो ताकि विभाग पर देख सके कि जरूरी हुई पुस्तकों की है। लोकन अब एक सकारी आदेश से 17 नवंबर 2024 से रजिस्टर्ड प्रिंटेड बुक्स सर्विस और रजिस्टर्ड पैटेन एवं सेंपल सर्विस - इन दोनों सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। इस बदलाव का परिणाम यह हुआ है कि अब एक तरफ से खुले पैकेट में मुक्त समाझी भी सुविधा ख्रेम में यह जरूरी था कि पैकेट को एक तरफ से खुला रखा तो ताकि विभाग पर देख सके कि यह जरूरी हुई पुस्तकों की है। लोकन अब एक सकारी आदेश से 17 नवंबर 2024 से रजिस्टर्ड प्रिंटेड बुक्स सर्विस और रजिस्टर्ड पैटेन एवं सेंपल सर्विस - इन दोनों सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। इस बदलाव का परिणाम यह हुआ है कि अब एक तरफ से खुले पैकेट में भी सुविधा ख्रेम में यह जरूरी था कि पैकेट को एक तरफ से खुला रखा तो ताकि विभाग पर देख सके कि यह जरूरी हुई पुस्तकों की है। लोकन अब एक सकारी आदेश से 17 नवंबर 2024 से रजिस्टर्ड प्रिंटेड बुक्स सर्विस और रजिस्टर्ड पैटेन एवं सेंपल सर्विस - इन दोनों सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। इस बदलाव का परिणाम यह हुआ है कि अब एक तरफ से खुले पैकेट में भी सुविधा ख्रेम में यह जरूरी था कि पैकेट को एक तरफ से खुला रखा तो ताकि विभाग पर देख सके कि यह जरूरी हुई पुस्तकों की है। लोकन अब एक सकारी आदेश से 17 नवंबर 2024 से रजिस्टर्ड प्रिंटेड बुक्स सर्विस और रजिस्टर्ड पैटेन एवं सेंपल सर्विस - इन दोनों सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। इस बदलाव का परिणाम यह हुआ है कि अब एक तरफ से खुले पैकेट में भी सुविधा ख्रेम में यह जरूरी था कि पैकेट को एक तरफ से खुला रखा तो ताकि विभाग पर देख सके कि यह जरूरी हुई पुस्तकों की है। लोकन अब एक सकारी आदेश से 17 नवंबर 2024 से रजिस्टर्ड प्रिंटेड बुक्स सर्विस और रजिस्टर्ड पैटेन एवं सेंपल सर्विस - इन दोनों सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। इस बदलाव का परिणाम यह हुआ है कि अब एक तरफ से खुले पैकेट में भी सुविधा ख्रेम में यह जरूरी था कि पैकेट को एक तरफ से खुला रखा तो ताकि विभाग पर देख सके कि यह जरूरी हुई पुस्तकों की है। लोकन अब एक सकारी आदेश से 17 नवंबर 2024 से रजिस्टर्ड प्रिंटेड बुक्स सर्विस और रजिस्टर्ड पैटेन एवं सेंपल सर्विस - इन दोनों सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। इस बदलाव का परिणाम यह हुआ है कि अब एक तरफ से खुले पैकेट में भी सुविधा ख्रेम में यह जरूरी था कि पैकेट को एक तरफ से खुला रखा तो ताकि विभाग पर देख सके कि यह जरूरी हुई पुस्तकों की है। लोकन अब एक सकारी आदेश से 17 नवंबर 2024 से रजिस्टर्ड प्रिंटेड बुक्स सर्विस और रजिस्टर्ड पैटेन एवं सेंपल सर्विस - इन दोनों सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। इस बदलाव का परिणाम यह हुआ है कि अब एक तरफ से खुले पैकेट में भी सुविधा ख्रेम में यह जरूरी था कि पैकेट को एक तरफ से खुला रखा तो ताकि विभाग पर देख सके कि यह जरूरी हुई पुस्तकों की है। लोकन अब एक सकारी आदेश से 17 नवंबर 2024 से रजिस्टर्ड प्रिंटेड बुक्स सर्विस और रजिस्टर्ड पैटेन एवं सेंपल सर्विस - इन दोनों सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। इस बदलाव का परिणाम यह हुआ है कि अब एक तरफ से खुले पैकेट में भी सुविधा ख्रेम में यह जरूरी था कि पैकेट को एक तरफ से खुला रखा तो ताकि विभाग पर देख सके कि यह जरूरी हुई पुस्तकों की है। लोकन अब एक सकारी आदेश से 17 नवंबर 2024 से रजिस्टर्ड प्रिंटेड बुक्स सर्विस और रजिस्टर्ड पैटेन एवं सेंपल सर्विस - इन दोनों सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। इस बदलाव का परिणाम यह हुआ है कि अब एक तरफ से खुले पैकेट में भी सुविधा ख्रेम में यह जरूरी था कि पैकेट को एक तरफ से खुला रखा तो ताकि विभाग पर देख सके कि यह जरूरी हुई पुस्तकों की है। लोकन अब एक सकारी आदेश से 17 नवंबर 2024 से रजिस्टर्ड प्रिंटेड बुक्स सर्विस और रजिस्टर्ड पैटेन एवं सेंपल सर्विस - इन दोनों सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। इस बदलाव का परिणाम यह हुआ है कि अब एक तरफ से खुले पैकेट में भी सुविधा ख्रेम में यह जरूरी था कि पैकेट को एक तरफ से खुला रखा तो ताकि विभाग पर देख सके कि यह जरूरी हुई पुस्तकों की है। लोकन अब एक सकारी आदेश से 17 नवंबर 2024 से रजिस्टर्ड प्रिंटेड बुक्स सर्विस और रजिस्टर्ड पैटेन एवं सेंपल सर्विस - इन दोनों सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। इस बदलाव का परिणाम यह हुआ है कि अब एक तरफ से खुले पैकेट में भी सुविधा ख्रेम में यह जरूरी था कि पैकेट को एक तरफ से खुला रखा तो ताकि विभाग पर देख सके कि यह जरूरी हुई पुस्तकों की है। लोकन अब एक सकारी आदेश से 17 नवंबर 2024 से रजिस्टर्ड प्रिंटेड बुक्स सर्विस और रजिस्टर्ड पैटेन एवं सेंपल सर्विस - इन दोनों सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। इस बदलाव का परिणाम यह हुआ है कि अब एक तरफ से खुले पैकेट में भी सुविधा ख्रेम में यह जरूरी था कि पैकेट को एक तरफ से खुला रखा तो ताकि विभाग पर देख सके कि यह जरूरी हुई पुस्तकों की है। लोकन अब एक सकारी आदेश से 17 नवंबर 2024 से रजिस्टर्ड प्रिंटेड बुक्स सर्विस और रजिस्टर्ड पैटेन एवं सेंपल सर्विस - इन दोनों सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। इस बदलाव का परिणाम यह हुआ है कि अब एक तरफ से खुले पैकेट में भी सुविधा ख्रेम में यह जरूरी था कि पैकेट को एक तरफ से खुला रखा तो ताकि विभाग पर देख सके कि यह जरूरी हुई पुस्त